ग्लोबल पेटेंट रेस में शीर्ष स्थान पर चीन

drishtiias.com/hindi/printpdf/china-at-top-in-global-patent-race

प्रीलिम्स के लिये:

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, पेटेंट सहयोग संधि

मेन्स के लिये:

बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization- WIPO) के अनुसार, वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में चीन प्रथम स्थान पर था।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में प्रथम स्थान पर चीन, जबकि द्वितीय स्थान पर अमेरिका था।
  जापान आवेदन की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, इसके बाद जर्मनी और दक्षिण कोरिया थे।
- वर्ष 2019 में चीन ने पेटेंट हेतु 58,990 आवेदन किये थे, जबकि अमेरिका ने 57,840 आवेदन किये थे।
  - केवल 20 वर्षों में चीन के आँकड़ों में 200 गुना की वृद्धि हुई है।
  - एशिया से लगभग 52.4% पेटेंट हेतु आवेदन किये गए हैं।
- वर्ष 1970 में पेटेंट सहयोग संधि प्रणाली (Patent Cooperation Treaty system) की स्थापना के बाद से अमेरिका प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक आवेदन करने वाला देश था।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

(World Intellectual Property Organization -WIPO):

- WIPO बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिये एक वैश्विक मंच है। यह संगठन 191 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है।

- इसका उद्देश्य एक संतुलित एवं प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास हेतु करना है जो सभी के लाभ के लिये नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी एवं इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विटज़रलैंड में है।

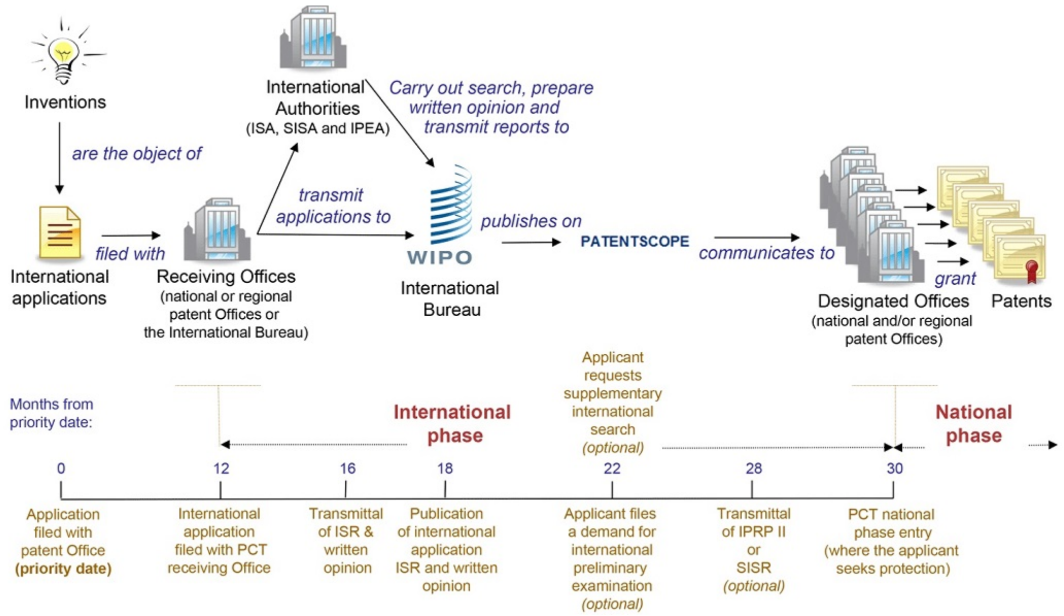

पेटेंट सहयोग संधि

(Patent Cooperation Treaty-PCT):

- पेटेंट सहयोग संधि वर्ष 1970 में संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून संधि है, जिसमें 150 से अधिक देश शामिल हैं।
- यह प्रत्येक अनुबंधित देशों में आविष्कारों की रक्षा के लिये पेटेंट आवेदनों को दाखिल करने हेतु एक एकीकृत प्रक्रिया प्रदान करती है।
- PCT के तहत दायर पेटेंट आवेदन को अंतर्राष्ट्रीय आवेदन या PCT आवेदन कहा जाता है।
- **पेटेंट सहयोग संधि का उपयोग:**
    - विश्व के प्रमुख निगमों, शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा की गई खोजों पर एकाधिकार हेतु पेटेंट सहयोग संधि का उपयोग किया जाता है।
    - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा व्यक्तिगत आविष्कार के संरक्षण हेतु पेटेंट सहयोग संधि का उपयोग किया जाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस